गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.04.2017 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.04.2017 को अपरान्ह 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

01.	प्रो0 अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्षा
02.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
03.	प्रो0 अनुपमा सक्सेना	सदस्य
04.	प्रो0 विशन सिंह राठौड़	सदस्य
05.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
06.	डॉ0 रेणु भट्ट	सदस्य
07.	प्रो. व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
08.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार	सदस्य
09.	डॉ. एम.सी. राव	सदस्य
10.	डॉ. एस.एस. धुरिया	सदस्य
11.	डॉ0 राकेश पाण्डेय	सदस्य
12.	प्रो0 बी.एन. तिवारी, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नांकित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं थे :–

01. प्रो. पी.के. बाजपेयी, अधिष्ठाता – भौतिकीय विज्ञान अध्ययनशाला
02. प्रो. एम.के. सिंह, अधिष्ठाता– अभियांत्रिकी एवं तकनीकी अध्ययनशाला

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.03.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनॉक 23.03.2017 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

विषय क्र. 02 **शैक्षणिक सत्र 2017–18 के प्रस्तावित शुल्क संरचना पर विचार करना।**

शुल्क संरचना का पुनरीक्षण कर तार्किक शुल्क संरचना का प्रस्ताव देने हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं पर विचार किया गया तथा विचारोपरांत निम्नलिखित संशोधन सुझाये गये –

1. प्रस्तावित शुल्क संरचना से प्रोजेक्ट शुल्क, फील्ड वर्क/एक्सकरशन शुल्क को हटा दिया जाये।
2. E-सुविधा के लिए शुल्क तब लगाया जाये, जब यह सुविधा मूल स्वरूप में उपयोग में आने लगे।
3. M.Pharm की शुल्क को परिवर्तित न कर शुल्क मदों में सुधार कर लिया जाये।

स्थायी समिति द्वारा उपरोक्तानुसार संशोधन के साथ गठित समिति द्वारा अनुशंसित शेष प्रस्तावित शुल्क संरचना का अनुमोदन किया गया।

Rony

विषय क्र. 03 शोधार्थी श्री अनंत कुमार पटेल, फार्मेसी विभाग को शोध निर्देशक आबंटन संबंधी।

विषय मूलतः विभाग से संबंधित है तथा प्रस्तुत प्रकरण पर विभागीय शोध समिति उचित निर्णय ले सकती है। अतः प्रकरण विभागीय शोध समिति को अंकित किये जाने का निर्णय स्थायी समिति द्वारा लिया गया।

विषय क्र. 04 ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त MoU के प्रस्ताव पर विचार करना।

स्थायी समिति ने यह संज्ञान में लिया कि विषय ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग का नहीं है वरन नोडल अधिकारी ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है। अतः विषय शीर्षक में तद्नुसार सुधार किया जाये। स्थायी समिति द्वारा समझौते (MoU) के मसौदे (Draft) का भी अनुमोदन किया गया।

विषय क्र. 05 एम.टेक अध्यादेश में संशोधन प्रस्ताव पर विचार करना।

प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश संशोधन पर विचार किया गया। समिति ने निम्नानुसार संशोधन सुझाये –

Relevant Ordinance be modified and paras will be read in the following manner :

1,1 The admission to M.Tech degree course shall be done on All India basis as decided from time to time by Guru Ghasidas Vishwavidyalaya.

A candidate have obtained B.Tech./ B.E. or an equivalent degree from recognized Institute /University in India or abroad approved by the University in the appropriate branch of Engineering shall be eligible for admission to the M.Tech course.

1.2 Notwithstanding clause 1.1, preference will be given to candidates who are GATE (Graduate Aptitude Test for Engineering) qualified and have a valid GATE score in the appropriate field, for admission to the M.Tech. courses.

If the total seats are not filled by GATE candidates, remaining vacant seats shall be filled up by Non GATE candidates as per the mode of admission decided by the University from time to time.

विषय क्र. 06 कु0 स्मिता सिंह, छात्रा, बी0टेक0 चतुर्थ सेमेस्टर के संबंध में गठित जॉच समिति के प्रतिवेदन पर विचार।

स्थायी समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया तथा समिति ने मामले को गंभीर माना तथा निर्णय लिया कि किसी भी विभाग द्वारा इस प्रकार की लापरवाही बरते जाने पर जवाबदेही निर्धारित की जायेगी एवं जवाबदेह व्यक्तियों पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य विषय –

01 समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के समस्त प्रपत्रों को एक पेज का बनाया जाये। आवश्यक वांछित जानकारियां 01 पेज में ही समाहित की जाये। तद्नुसार प्रपत्र बनाकर प्रसारित किया जाये।

02 समिति ने निर्णय लिया कि विभागाध्यक्ष अपने विभाग से जारी किये जाने वाले आदेश/परिपत्र/पत्र/प्रमाण पत्र /प्रवेश पत्र इत्यादि में मूल हस्ताक्षर ही अंकित करेंगे। हस्ताक्षर का सील नहीं लगायेंगे। सील केवल पदनाम एवं विभाग का होना चाहिये।

03 विश्वविद्यालय द्वारा जारी 10 अध्यादेशों के भारत सरकार के गजट में प्रकाशित होने संबंधी जानकारी की सूचना स्थायी समिति द्वारा ग्रहित की गई।

04 स्थायी समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वानिकी विभाग के लिये जारी किये जाने वाली अंकसूचियों एवं उपाधि प्रमाण पत्रों में वही नाम अंकित किये जायें जैसा कि अध्यादेश में उल्लेखित है।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अंकसूचियों में पेपर की संख्या के स्थान पर पेपर का नाम उल्लेखित /टंकित किया जाये।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव

कुलपति/अध्यक्ष